

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 1991/अग्रहायण 27, 1913
No. 733] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 1991/AGRAHAYANA 27, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1991

का.अ. 882 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54)
की धारा 6 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय
बीज समिति से परामर्श के पश्चात् जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अधिसूचित किस्मों
के बीजों की आनुवंशिक शुद्धता की न्यूनतम सीमा निम्न प्रकार से विनिर्दिष्ट करती है।—

3268 GI/91

(1)

अधिसूचित किस्मों के बीजों की आनुवंशिक शुद्धता :

न्यूनतम आनुवंशिक
शुद्धता मानक (प्रतिशत)

(क) किस्में	98
(ख) सम्मिश्रण, संश्लिष्ट, बहुरेखीय (मल्टीलाइन्स) और संकर	95

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[सं. 17-4/90-एस. डी. -IV]

मालती एस. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1991

S.O. 882(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee hereby specifies the minimum limits of genetic purity of the seeds of notified varieties as follows unless specified otherwise.

Genetic purity of the seeds of notified varieties:

	Minimum Genetic Purity Standards (percentage)
(a) Varieties	98
(b) Composites, synthetics, multilines and hybrids.	95

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

[No. 17-4/90-SD. IV]

MALTI S. SINHA, Jt. Secy.